

24/9/19

पत्रावली पेश की वकील पद्मराव हाजिरे  
 ने है अपीलार्ड स्वयं भी हाजिरे नब्बे  
 वकील अपीलार्ड स्वयं अपीलार्ड को कस-कस  
 कर लोक वाट से साबिक आवान  
 लगायी गई न के अपीलार्ड स्वयं हाजिरे  
 अदालत हुआ गया ना ही अपीलार्ड  
 भी कोट से कोई मोहकता हाजिरे  
 अदालत हुआ/अना अपील अपीलार्ड  
 अंतर्गत Order 9 Rules 3 CPC के तहत  
 अदम हाजिरी, अदम पैरवी में खारिज  
 किया जाता है पत्रावली फेरल सुनार  
 होना नमक से छुट्टा है दाखिल  
 हफ्त है काफिर खुले न्यायालय  
 में सुनार जाय

(निधि सिंह)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 रामगढ़ शेखावादी